न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–03/38/2024 ऑनलाईन नम्बरः–2024/254 प्रवेश तिथिः–02.04.2024

1. पटवारी हल्का नयागाव बोलका जरिये जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

वनाम्

1. अशोक कुमार, विजय कुमार पुत्रान किशनलाल कौम खाती निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित– तहसीलदार राजगढ–प्रार्थी

–:निर्णयः–

दिनांक 20.12.2024

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता 89 संख्या खसरा संख्या 786/0.04 है0 वाके ग्राम डॉगरवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कृषि खातेदारी भूमि पर व्यावसायीक आरामशीन लगाकर जमीन को खर्दु–बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 02.04.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का इस आश्य की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2023 को पेश कि गई की प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से कृषि खातेदारी भूमि पर व्यावसायी आरामशीन स्थापित करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 03.11.2024 को इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम राजपुर वडा के हाल आराजी खाता 89 संख्या खसरा संख्या 786/0.04 है0 वाके ग्राम डॉगरवाडा पर अवैध व्यावसायीक आरामशीन स्थापित कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल अप्रार्थीगण असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके की और से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशल है। जो इस निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

यह है कि हाल आराजी खाता 89 संख्या खसरा संख्या 786/0.04, 789/0.07, 869/1414/0.12, 974/0.24, 975/0.26 है0 वाके ग्राम डॉगरवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर के अप्रार्थीगण 1/2 हिस्से का खातेदारी काश्तकार की भूमि है। उक्त भूमि पर मकान बुजुर्गान के समय से ही बने हुए है। उक्त भूमि पर व्यावसायीक आरामशीन स्थापित नही किया हुआ है। प्रार्थी जाति से खाती है। फर्नीचर का कार्य मकान में ही करता है। अप्रार्थीगण ने कोई भी आरामशीन उक्त नम्बर में नही लगा रखी है। प्रार्थी का उक्त भूमि में जो मकान बना हुआ है। उसकी अप्रार्थी द्वारा कन्वर्ट करवाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर दिया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. तहसीलदार राजगढ से इस संबंध में मौका रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है। कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम डांगरवाडा के आराजी खसरा संख्या 786/0.04 किस्म बारानी अशोक कुमार, विजय कुमार पि0 किशनलाल जाति खाती सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौका पर उक्त आराजी खसरा संख्या 786 में मौके पर 0.015 है0 में पक्का मकान एवं टिन सेट लगाया हुआ है। वर्तमान में मौके पर कोई आरामशीन स्थित नही है।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. बहस अप्रार्थीगण की सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को ताईद की और प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारीज करने का निवेदन किया गया।

6. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ व अप्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित हाल आराजी खाता 89 संख्या खसरा संख्या 786/0.04 है0 वाके ग्राम डॉगरवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2024/2033 दिनांक 13.11.2024 के अनुसार उक्त अनुवानी प्रकरण में पटवारी हल्का नयागाव बोलका से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें बताया गया की मौके पर किसी भी प्रकार की कोई आरामशीन स्थापित नही किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट की उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का आरामशीन स्थापित कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन किया गया हो। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र हाल आराजी खाता 89 संख्या खसरा संख्या 786/0.04 है0 वाके ग्राम डॉगरवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर